

5.	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	55
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 and 4 above	188
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	433
	Total Authorized Strength	621

[F. No. 11031/05/2014-AIS-II-A]
DIWAKAR NATH MISRA, Director (Services)

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Uttar Pradesh IAS Cadre was 592.

Note 2: The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Uttar Pradesh Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

S.No.	G.S.R. No.	Date	S.No.	G.S.R. No.	Date
1.	426	16.10.74	13.	319(E)	31.03.1995
2.	946	24.12.76	14.	739(E)	31.12.1997
3.	1279	28.10.78	15.	230(E)	30.04.1998
4.	471	08.08.79	16.	805(E)	21.10.2000
5.	446	24.07.80	17.	806(E)	21.10.2000
6.	324	28.03.81	18.	290	03.09.2005
7.	750	15.08.81	19.	13(E)	13.01.2006
8.	900(E)	20.12.83	20.	188(E)	24.03.2009
9.	961	26.12.87	21.	412(E)	17.05.2010
10.	190	26.03.88	22.	953(E)	06.12.2010
11.	526	28.11.92			
12.	125	06.03.93			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 939(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियमावली, 2014 होगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

"अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में समय वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली 'उत्तर प्रदेश' प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"उत्तर प्रदेश

मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
अध्यक्ष, राजस्व तथा सलाहकार बोर्ड, भूमि सुधार	80,000/- रु. (नियत)
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग	80,000/- रु. (नियत)
सदस्य, राजस्व बोर्ड	80,000/- रु. (नियत)
महानिदेशक, प्रशिक्षण	80,000/- रु. (नियत)
कृषि उत्पादन आयुक्त	80,000/- रु. (नियत)
औद्योगिक विकास आयुक्त	80,000/- रु. (नियत)

मण्डलायुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
सरकार के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान: 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	एचएजी वेतनमान: 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
राज्यपाल के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान: 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान: 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
महानिदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान	एचएजी वेतनमान: 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
समाज-कल्याण आयुक्त	एचएजी वेतनमान: 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/- रु.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
मण्डल आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
मुख्य मंत्री के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
खाद्य एवं औषध प्रशासन आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
बिक्री कर आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
ग्रामीण विकास आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
परिवहन आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
आवास आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
डेयरी विकास आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
पंजीयक, सहकारी समितियां	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
उद्योग निदेशक	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
आबकारी आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
गन्ना आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
महानिदेशक, कारावास	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
महानिदेशक, पर्यटन	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
श्रमायुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण II	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.

सदस्य (न्यायिक) राजस्व बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
खाद्य आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
मनोरंजन कर आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
चकबंदी आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
मुख्य सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
निदेशक, संस्कृति	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु."

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पदों से संबंधित भाग ख में तालिका में, "उत्तर प्रदेश" के अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियाँ

जिलाधीश
संयुक्त विकास आयुक्त/सीडीओ/अपर/संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास सरकार के विशेष सचिव
अपर/संयुक्त धर्मायुक्त
निर्यात आयुक्त, सामान/सेवा
अपर पंजीयक, सहकारी समितियाँ
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास
अपर/संयुक्त बिक्री-कर आयुक्त
निदेशक, पंचायत
निदेशक, सूचना
निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार
निदेशक, समाज कल्याण
सचिव, लोक सेवा आयोग
राहत आयुक्त
निदेशक, स्थानीय निकाय
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक
निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अपर आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व बोर्ड
निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो और सरकार के संयुक्त/विशेष सचिव
निदेशक(प्रशासन), एसजीपीजीआई
अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
अपर आवासीय आयुक्त"।

[सं.-11031/05/2014-अ.भा.से.॥-ख]

दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी:- मूल नियम दिनांक 20.03.2007 की सा.का.नि. सं. 213(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं एवं तिथियों के तहत संशोधित किए गए थे:-

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख	क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1	23(अ)	10.01.2008	19	899(अ)	09.11.2010
2	665(अ)	19.09.2008	20	954(अ)	06.12.2010
3	123(अ)	15.04.2009	21	920(अ)	30.12.2011

4	542(अ)	21.07.2009	22	922(अ)	30.12.2011
5	572(अ)	13.08.2009	23	94(अ)	16.02.2012
6	820	12.11.2009	24	115(अ)	28.03.2012
7	72(अ)	10.02.2010	25	325(अ)	26.04.2012
8	102(अ)	25.02.2010	26	941(अ)	28.12.2012
9	191(अ)	12.03.2010	27	55(अ)	31.01.2013
10	298(अ)	08.04.2010	28	104(अ)	18.02.2013
11	397(अ)	11.05.2010	29	602(अ)	06.09.2013
12	404(अ)	13.05.2010	30	604(अ)	06.09.2013
13	413(अ)	17.05.2010	31	45(अ)	22.01.2014
14	432(अ)	20.05.2010	32	47(अ)	22.01.2014
15	434(अ)	20.05.2010	33	302(अ)	29.04.2014
16	451(अ)	26.05.2010	34	384(अ)	06.06.2014
17	689(अ)	19.08.2010	35	512(अ)	18.07.2014
18	836(अ)	13.10.2010	36	720(अ)	13.10.2014

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2014

G.S.R. 939(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following rules further to amend the *Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007*, namely: -

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:-
 - (a) in Scheduled II in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry 'UTTAR PRADESH' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

"UTTAR PRADESH

Chief Secretary	Rs.80,000/- (Fixed)
Chairman, Board of Revenue and Adviser, Land Reforms	Rs.80,000/- (Fixed)
Chairman, Administrative Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	Rs.80,000/- (Fixed)
Member, Board of Revenue	Rs.80,000/- (Fixed)
Director General, Training	Rs.80,000/- (Fixed)
Agriculture Production Commissioner	Rs.80,000/- (Fixed)
Industrial Development Commissioner	Rs.80,000/- (Fixed)
Divisional Commissioners (Agra, Varanasi, Meerut, Lucknow, Allahabad, Kanpur)	HAG Scale - 67000 (annual increment @ 3%) - 79000/-
Principal Secretary to the Government	HAG Scale - 67000 (annual increment @ 3%) - 79000/-